न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी, श्रीमती कंचन राठौड़ आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र संख्या – 167/2022
जीसीएमएस सं. – 2022/282

प्रार्थी :
तेजाराम पुत्र चुनाराम जाति माली
निवासी पीपलो का बेरा, नानण,
तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण :
1. मुकनाराम पुत्र फुवाराम
2. मोहनराम पुत्र मुकनाराम
   सभी जातियान माली
   निवासीगण पीपलो का बेरा,
   नानण तहसील पीपाड़ शहर
   जिला जोधपुर।
3. भूमिधारी तहसीलदार पीपाड़
   शहर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राज. काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता
श्री निर्मल कटारिया प्रार्थी की ओर से
श्री ओमप्रकाश कच्छावाह अप्रार्थीगण की ओर से

निर्णय

दिनांक : 25.01.2023

प्रार्थी ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान कास्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी ग्राम नानण का निवासी है तथा प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम नानण पटवारी हल्का नानण भू.अभि.नि. कोसाणा तहसील पीपाड़ शहर में कृषि भूमि खसरा नम्बर 160/5 रकबा 1.0517 हैक्टयर किस्म बारानी प्रथम आई हुई हैं। प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 160/5 तक आने जाने के लिये तथा कृषि भूमि में काश्त कार्य हेतु ट्रेक्टर ट्रॉली ले जाने हेतु आस–पड़ोस में कोई रास्ता उपलब्ध नहीं हैं। अभी वर्तमान में प्रार्थी के उक्त खेत खसरा सं. 160/5 के उत्तरी तरफ खसरा सं. 160/4 की भूमि में से उक्त खसरा संख्या 160/4 के उत्तरी तरफ चल रहे रास्ता खसरा संख्या 158 से होते हुए खेत खसरा संख्या 160/4 में स्थित वादग्रस्त रास्ता मार्क ए.बी.सी.डी से प्रार्थी अपने खेत में आता जाता रहता है। जिसको सलंग्न नजरी नक्शा में लाल स्याही से मार्क ए.बी.सी.डी में दर्शाया गया हैं। जिस रास्ता को आगे वादपत्र में वाग्रस्त रास्ता के नाम से सम्बोधित किया जाएगा। इसके अलावा प्रार्थी के खेत खसरा सं. 160/5 में जाने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं हैं। प्रार्थी की खातेदारीसुदा कब्जासुदा खेत खसरा संख्या 160 / 5 में आने–जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं हैं। प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 160/5 रकबा 1.0517 हैक्टेयर में आने जाने हेतु वादग्रस्त रास्ता के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं हैं। इसीलिए प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी कब्जा काश्तसुदा कृषि भूमि खसरा संख्या

उपखण्ड अधिकारी

160/5 में आने–जाने हेतु खसरा संख्या 160/4 से चल रहा वादग्रस्त रास्ता प्रार्थी के खेत में आने–जाने का सबसे निकटतम व सुलभतम रास्ता हैं। इसलिए प्रार्थी को अपनी खातेदारी कब्जासुदा जमीन खसरा संख्या 160/5 में आने–जाने हेतु वादग्रस्त रास्ता मार्क ए.बी.सी.डी रास्ता घोषित करवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश करना पड़ रहा हैं। प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 160/5 के उत्तरी तरफ खसरा संख्या 160/4 में से प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 160/5 में आने–जाने एवं काश्त कार्य करने हेतु ट्रैक्टर ट्रॉलीयों ले जाने एवं अपने खेत खसरा संख्या 160/5 में सुविधापूर्ण तरीके से जाने हेतु प्रार्थी को करीब 30 फीट चौड़ा रास्ता की अतिआवश्यकता है इसीलिए वादग्रस्त रास्ता मार्क ए. बी.सी.डी. को 30 फीट चौड़ा रास्ता घोषित फरमायें एवं राजस्व ट्रेस नक्शा में रास्ते को तरमीम किये जाने का आदेश फरमायें। प्रार्थी उक्त खसरा संख्या 160/4 से निकलने वाले रास्ते को राजस्व रेकर्ड में रास्ता घोषित करवाने के विधिक अधिकारी है क्योंकि प्रार्थी के पास अपने खेत खसरा संख्या 160/5 में आने–जाने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं हैं तथा प्रार्थी उक्त घोषित किये जाने वाले रास्ते बाबत अप्रार्थी को विधि अनुसार मुआवजा राशि देने हेतु तैयार एवं तत्पर हैं। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर श्रीमान न्यायालय हाजा से निवेदन हैं कि प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 160/5 रकबा 1.0517 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम में आने–जाने हेतु अप्रार्थीगण के खसरा संख्या 160/4 में से 30 फुट चौड़ाई में वादग्रस्त रास्ता मार्क ए.बी.सी.डी रास्ता घोषित फरमायें एवं राजस्व ट्रैस नक्शा में रास्ता की तरमीम किये जाने का आदेश फरमावें । अन्य अनुतोष जो हित प्रार्थी हो प्रार्थी के हक में अता फरमायें।

हमने प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से वकील ओमप्रकाश कच्छावाह द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया, वकील अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थी की आई हुई है जिस पर आने जाने हेतु मूल खसरा नम्बर 160 बन्टवाड़ा के समय शामलाती रास्ता आवगमन हेतु रखा हुआ हैं। प्रार्थी ने अपने खेत खसरानम्बर 160/5 के पूर्वी तरफ शामलाती रास्ता छोड़कर पट्टियां खड़ी करके तारबन्दी कर रखी है । शामलाती रास्ता से होकर ही प्रार्थी अपने खेत आता जाता रहा है एवं काश्त कार्य करता आ रहा हैं। प्रार्थी के खेत में आने जाने हेतु पूर्व दिशा में शामलाती रास्ता रखा हुआ है शामलाती रास्ते से होकर प्रार्थी व अप्रार्थीगण अपने अपने खेतों में आते–जाते रहे है एवं ट्रेक्टर–ट्रोली लाते ले जाते रहे है एवं काश्त कार्य करते आये हैं। अप्रार्थी सं. एक व दो के खेत खसरा नम्बर 160/4 पर अप्रार्थी संख्या एक व दो शामलाती रास्ते से होकर

उपखण्ड अधिकारी
बीलाड़ा (जोधपुर)

ही आते जाते रहे है एवं काश्त कार्य कर रहा है। प्रार्थी के उक्त खेत खसरा नम्बर 160/5 के उत्तरी तरफ खसरा संख्या 160/4 की भूमि में से उक्त खसरा संख्या 160/4 के उत्तरी तरफ चल रहे रास्ता खसरा संख्या 158 से होते हुए खेत खसरा संख्या 160/4 में स्थित वादग्रस्त रास्ता मार्क ए, बी, सी, डी से प्रार्थी अपने खेत में आता जाता रहा है। जबकि वास्तविकता में कट्टाणी रास्ते के सहारे स्थित खेत खसरा नम्बर 160/4 की उत्तरी सीमा पर पुराना घोरा लगा रखा है व पट्टिया खड़ी करके तारबन्दी व बाड़ की हुई है जिसमें कथाकथित रास्ता होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। प्रार्थी ने अपने खेत में मूल खसरा नम्बर 160 में रखे हुए शामलाती रास्ते से होकर ही अपने खेत में काश्त कार्य करते आये है तथा उक्त शामलाती रास्ते में बिछाई गई भूमिगत पानी की पाईपलाईन से सिंचाई भी करते आये है। शामलाती रास्ते का दोनो तरफ स्थित खेतों के खातेदार आवागमन हेतु वक्त बन्टवाड़े से उपयोग उपभोग कर रहे है। प्रार्थी के खेत में आने जाने हेतु मौके पर पूर्वी तरफ शामलाती रास्ता विद्यमान है। वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। मौके पर वैकल्पिक रास्ता मौजूद है जो फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 21.07.2022 से साबित है। प्रार्थी अपने खेत खसरा नम्बर 160/8 व खसरा नम्बर 160/5 पर शामलाती रास्ते होकर आता जाता रहा है एवं गौचर भूमि में स्थित रास्ता से होकर भी अपने खेत खसरा नम्बर 100/8 में आता जाता रहा है। प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 160/5 पर आने जाने हेतु उक्त खेत के पूर्वी सीमा पर मूल खसरा नम्बर 100 में शामलाती रास्ता प्रार्थी व अप्रार्थीगण के खेतों में आने जाने हेतु रखा हुआ है जिसका प्रार्थी व अप्रार्थीगण आवागन हेतु उपयोग उपभोग कर रहे है उक्त शामलाती रास्ते में भूमिगत पानी की पाईप लाईन भी बिछाई हुई है जिससे प्रार्थी व अप्रार्थीगण अपने अपने खेतों में सिंचाई करते आये है। प्रार्थी द्वारा बताया तथाकथित वादग्रस्त रास्ता कभी भी मौके पर विद्यमान नहीं रहा है प्रार्थी ने उक्त में गलत तथ्य अंकित किये है प्रार्थी के पास मौके पर पहले से ही वैकल्पिक रास्ता मौजूद है जिससे होकर ही प्रार्थी अपने खेत में काश्त कार्य करता आया है। प्रार्थी के खेत पर आने जाने हेतु पूर्व दिशा में खेत के चिपते ही शामलाती रास्ता मूल खसरा नम्बर 160 में विद्यमान है जो प्रार्थी के लिए सबसे निकटतम व सुलभतम आवागमन का रास्ता है इसलिए प्रार्थी, अप्रार्थीगण के खेत में दूसरा नया रास्ता घोषित करवाने के कतई अधिकारी नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र हर सूरत में काबिल खारिज फरमाने योग्य है। अप्रार्थी संख्या एक व दो के खेत खसरा नम्बर 160/4 में तथाकथित रास्ता कभी विद्यमान ही नहीं रहा है। प्रार्थी के खेत पर आने जाने हेतु पूर्वी सीमा पर शामलाती रास्ता विद्यमान है इसलिए प्रार्थी दूसरा नया रास्ता अप्रार्थी संख्या एक व दो की भूमि में से घोषित करवाने का कतई अधिकारी नहीं है अप्रार्थी संख्या एक व दो की

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

भूमि का रकबा पहले से ही कम है अगर तथाकथित रास्ता घोषित कर दिया तो अप्रार्थी संख्या एक व दो का खेत काश्त करने के लायक नहीं रहेगा जब प्रार्थी के पास अपने खेत खसरा नम्बर 160/5 व खेत खसरा नम्बर 160/8 पर आवागमन हेतु पहले से ही रास्ता विद्यमान है, विद्यमान रास्ता के दोनो तरफ के खेतों के मालिक रास्ता का शामलाती रूप से आवागमन हेतु उपयोग कर रहे है शामलाती रास्ता मौके पर धूम चल रहा है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा के खारिज फरमाया जाये। खसरा नम्बर 160/ 5 व 160/8 पर आवागमन हेतु प्रार्थी के पास मूल खसरा नम्बर 160 में शामलाती रास्ता मौके पर विद्यमान है। शामलाती रास्ते का प्रार्थी व अप्रार्थीगण अपने अपने खेतों में आवागमन हेतु उपयोग उपभोग कर रहे है इसलिए प्रार्थी दूसरा नया रास्ता घोषित करवाने का कतई अधिकारी नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र हर सूरत में काबिल खारिज फरमाने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर श्रीमान् न्यायालय हाजा से निवेदन है कि प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 160/5, 160/8 पर आवागमन हेतु मूल खसरा नम्बर 160 में शामलाती रास्ता प्रार्थी व अप्रार्थीगण द्वारा रखा हुआ है जिसका प्रार्थी व अप्रार्थीगण वर्षो से आवागमन हेतु उपयोग उपभोग कर रहे है शामलाती रास्ता बाबत् प्रार्थी व अप्रार्थीगण को सुखाधिकार प्राप्त होने से प्रार्थी, अप्रार्थी के खेत में दूसरा नया रास्ता घोषित कराने का कतई अधिकारी नहीं है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मिथ्या बनावटी तथ्यों पर आधारित होने से मय हर्जा खर्चा के खारिज फरमाया जावे ।

अप्रार्थी सं. 3 तहसीलदार पीपाड़ शहर ने मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि उक्त नजरी नक्शे में दर्शित बिन्दु ABCD परिवादी द्वारा मांग किया गया रास्ता जो कि मौतबिरानो के बताये अनुसार कभी रास्ते के उपयोग नही लिया गया । नजरी नक्शे में दर्शित बिन्दु EFGH रास्ता मौके पर चालु है जो खसरा नम्बर 160 के विभाजन के समय से चल रहा है । परिवादी द्वारा मांग किये गये रास्ते की लम्बाई 165 फीट एवं चौड़ाई 30 फीट है । कुल क्षैत्रफल 4950 वर्गफीट है । जिसकी वर्तमान DLC दर से कुल 10513 X 2 = 21026/- रूपये बनती है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज, जवाब वकील अप्रार्थीगण एवं तहसीलदार पीपाड़ शहर की मौका कमिश्नर रिपोर्ट अनुसार ग्राम नानण के खसरा नम्बर 160/5 में आने जाने हेतु अप्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 160/4 मे से सबसे निकटतम रास्ता मौका फर्द में दर्शाये बिन्दु सं. ABCD दिया जाना प्रस्तावित है। साथ ही मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 160/5 से 160/39 तक रास्ता पूर्व में मौके पर खसरा

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

नम्बर 160 के विभाजन के समय से विद्यमान है जो कि मौका रिपोर्ट से ही स्पष्ट है परन्तु राजस्व रेकर्ड में दर्ज नही हैं व न ही उक्त रास्ता खसरा नम्बर 158 डामर सड़क व खसरा नम्बर 160/39 के पश्चात मौके पर चलायमान रास्ते से जुड़ता है एवं प्रार्थी को अपने खेत खसरा नम्बर 160/5 से खेती संबंधी कार्य हेतु सड़क पर आना पड़ता है । राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम की धारा 251 क के प्रावधानुसार सबसे निकटतम व सुलभतम रास्ता ही दिया जाना प्रस्तावित हैं।

अतः राजस्व ग्राम नानण के खसरा नम्बर 160/5 में आने जाने हेतु अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 160/4 में तहसीलदार पीपाड़ शहर से प्रस्तुत कमिश्नर रिपोर्ट मार्क ABCD कुल क्षेत्रफल जिसकी लम्बाई 165 फीट व चौड़ाई 30 फीट है, कुल क्षैत्रफल 4950 वर्गफीट हैं। जिस भूमि को रास्ते के उपयोग हेतु घोषित की जाती है । जिसकी वर्तमान डीएलसी दर से 10513/- रूपये बनती हैं। रास्ते के काम आयी भूमि 4950 वर्गफीट भूमि की मालियत राशि रूपये 10513/- रूपये प्रति हैक्टयर बनती है। जिसकी नियमानुसार दुगुनी राशि 21026/- रूपये बनती है। प्रार्थी राशि 21026/- रूपये का चैक/डी.डी. अप्रार्थी राजकोष के नाम से तहसीलदार पीपाड़ शहर के समक्ष जमा करावे ।

तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता है कि राशि 21026/- रूपये का चैक/ डी. डी. प्रार्थी से प्राप्त कर अप्रार्थी/राजकोष में जमा करावें एवं रास्ते की भूमि की तरमीम राजस्व नक्शे में करें इस आशय की तहरीर तहसीलदार पीपाड़ शहर के नाम जारी हो । मौका कमिश्नर रिपोर्ट व उसमें संलग्न मौका फर्द एवं नजरी नक्शे को निर्णय का अंग समझा जायें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें ।

(कंचन राठौड़)
सहायक कलक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

निर्णय आज दिनांक 25.01.2023 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

(कंचन राठौड़)
सहायक कलक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)